

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

04.03.24

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थनी अधिवक्ता एवं विप्रार्थी संख्या 9 के अधिवक्ता उपस्थित।

विप्रार्थी संख्या 1 से 8 नोटिस तामील होने के बावजूद अनुपस्थित। अतः उनके के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।


प्रार्थनी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस है कि प्रार्थनी विवादित भूमि की रिकार्डेड खातेदार हैं और रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने के लिए स्वतंत्र है। जिसकी प्रार्थनी हकदार भी है। प्रार्थनी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सेढा पर पक्की माटें व सीमा चिन्ह नहीं होने से प्रार्थनी अपनी भूमि पर काश्त करने से वंचित रह जाती है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि स्थाई समाधान के लिए नेखमबंदी आदेश प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 9 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थनी द्वारा हम विप्रार्थी को नाहक परेशान करने की नियत से यह आवेदन पेश किया है तथा हमें सेढा पडौसी नहीं होते हुए भी पक्षकार संयोजित किया गया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारी खातेदारी भूमि एवं कब्जा काश्त को प्रभावित किये बिना तथा निष्पक्ष कमेटी का गठन करते हुए प्रार्थनी की खातेदारी में नेखमबंदी की जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थनी अपनी खातेदारी भूमि की रिकार्डेड खातेदार होने से अपनी आराजी की नेखमबंदी करवाने हेतु स्वतंत्र है। चूंकि प्रार्थनी द्वारा अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी बाबत आवेदन पेश किया गया है। विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आवेदन का जवाब भी पेश नहीं किया गया है तथा अपनी बहस में स्वयं की खातेदारी भूमि एवं कब्जा काश्त को प्रभावित किये बिना नेखमबंदी हेतु सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थनी के आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शिव, तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 1170/229 रकबा 2.2500 हैक्टेयर विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करें। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थनी द्वारा नियमानुसार वहन किया जायेगा। तत्पश्चात कार्यवाही विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक शिव को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त कार्यवाही प्रार्थनी एवं विप्रार्थीगण को पूर्व में जरीये नोटिस/पत्र से सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर शुल्क 500/- प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। मौके पर कब्जा काश्त को लेकर विवाद होने की स्थिति में नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं की जावे। आवश्यकता होने पर एस.एच.ओ. शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। भू-अभिलेख निरीक्षक शिव बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाडमेर)